भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

01AA 252676

यह जनरल स्टाम्प पेपर .... बाबा जगदेवदास
.... शिक्षण सेवा संस्थान मऊ
जिला .... मऊ .... फाइल नं० .... D-16171
के सं० नियमावली के साथ संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आजमगढ़

भारतीय गैर न्यायिक

पाँच रुपये FIVE RUPEES

रु.5 Rs.5

सत्यमेव जयते

भारत INDIA

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH 01AA 252677

यह अमरस्ट स्टाम्प पेपर बाबा जगदेव दास शिक्षण सेवा संस्थान मऊ

जिला मऊ फाइल नं० G-16171

के सं० स्मृतिपत्र के साथ संलग्न है।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
फर्म्स सोसाइटीज तथा चिट्स
आजमगढ़

:संशोधित स्मृति पत्र:

१:संस्था का नाम :बाबा जगदेव दास शिक्षण सेवा संस्थान ।

२:संस्था का पता :ग्राम पकड़ी खुर्द (ओजीपुर),पो० पकड़ी बुजुर्ग तह० घोसी जिला मऊ।

३:संस्था का कार्यक्षेत्र :सम्पूर्ण भारत वर्ष ।

४:संस्था के उद्देश्य१ :देशाटन द्वारा बच्चों के बौद्धिक विकास करना तथा संगीत शिक्षा का आयोजन करना ।

२: निःशुल्क पुस्तकालयों, वाचनालयों,क्रीडास्थलों, छात्रावासों,अनाथालयों,बृद्धाश्रमों,विधवाश्रमों, प्रयोगशालाओं आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना तथा भूमि का क्रय-विक्रय कर उसे संस्था के विकास में व्यय करना ।

३: कार्यक्षेत्र के अर्न्तगत प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक बालक /बालिका विद्यालयों, महाविद्यालयों, आवासीय विद्यालयों, अनावासीय विद्यालयों, कान्वेण्ट विद्यालयों;बाल श्रमिक विद्यालयों,आश्रमपद्धति विद्यालयों,संस्कृत विद्यालयों,बौद्ध विद्यालयों, हरिजन विद्यालयों, अम्बेडकर विद्यालयों, उर्दू, अरबी,फारसी, हिन्दी, अंग्रेजी माध्यम के विद्यालयों, विकलॉग विद्यालयों तथा प्राइमरी स्तर से उच्च स्तर तक बालिका विद्यालयों महाविद्यालयों, प्रौढ़शिक्षा केन्द्रों,अनौपचारिक शिक्षा केन्द्रों,ऑगन बाड़ी,बाल बाड़ी, पुष्टाहार योजनाओ ,सर्वशिक्षा अभियान कार्यक्रमों आदि की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

४: गरीब,हरिजन,विकलॉग,मेघावी,निराश्रित,असहाय,मृतक आश्रित सेनानियों के बच्चों,बाल श्रमिको को निःशुल्क शिक्षा तथा पुस्तके प्रदान करने का प्रयास करना तथा उनके लिए छात्रबृत्ति एवं छात्रावासों की व्यवस्था विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

५: बाल श्रमिकों का चिन्हीं करण करना तथा उन्हें शिक्षित करने का प्रयास करना तथा बधुआ मजदूरों को मुक्त करा कर पुनः तथा बाल श्रमिकों को शिक्षित प्रशिक्षित कर स्वरोजगार में स्थापित करने का प्रयास करना ।

६: विकलॉगों को निःशुल्क कृत्रिम अंग,भोजन,आवास,शिक्षा,वस्त्रादि प्रदान करने का प्रयास करना तथा उनके लिए कृत्रिम अंगों का क्रय व वितरण विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

७: कार्यक्षेत्र के अन्तर्गत सिलाई, कढ़ाई,कटाई,बुनाई,तकनीकी,कुटीर,शिल्पकला,हस्तशिल्पकला, काष्ठकला,कम्प्यूटर,टंकण,आशुलिपि,इलेक्ट्रिकल्स एण्ड इलेक्ट्रानिक्स,पेटिंग,जरीकढ़ाई,चिकन कढ़ाई,कालीनबुनाई ,दरीबुनाई आदि प्रशिक्षण केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन विभागीय अनुमति से करने का प्रयास करना।

८: पर्यावरण संरक्षण हेतु कार्य करना तथा वन व वन्य प्राणियों की रक्षा की भावना लोगों के अन्दर पैदा करने का प्रयास करना तथा बृक्षारोपण करना ।

९: बालक/ बालिकाओं ,कलाकारों के शारीरिक,बौद्धिक,मानसिक तथा चारित्रिक विकास करना,तथा उनके लिए समय -समय पर खेलों, सेमीनारों ,गोष्ठियों,प्रदशर्नियो आदि का आयोजन एवं संचालन करके सफल बालक/बालिकाओ,कलाकारों को पुरस्कृत करने का प्रयास करना ।

१०: भारत सरकार, प्रदेश सरकार,जिला ,तहसील,ब्लाक तथा न्याय पंचायत स्तर पर जन विकास विशेषकर सामाजिक व आर्थिक विकास की योजनाओं एवं विकास के कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने का प्रयास करना ।

११: बच्चों को शिक्षा की सुविधा प्रदान कर सच्चरित्र नागरिक बनाना ।

सत्य प्रतिलिपि

सहायक निबंधक
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
आजमगढ़

१२: मानव संसाधन विकास मंत्रालय ,यूनीसेफ,डब्लू०एच०ओ० ,सिडवी, अवार्ड, कपार्ट,नवार्ड ,नोराड ,डूडा ,सूडा, ड्वाकरा डी०आर डी०ए०,आई०आर०डी०पी०,एस०जे०आर०वाई०,एस०जे० एस०वाई,जे०आर०वाई०,अम्बेडकर ग्राम,समग्र ग्राम,स्वजलधारा,सिप्सा आदि योजनाओं को जनहित में विभागीय अनुमति से क्रियान्वित करके मानव विशेषकर महिलाओं का विकास करने का प्रयास करना ।

१३: दैवीय आपदा यथा बाढ़,सूखा,भूकम्प,महामारी आदि के समय लोगों की सहायता करना तथा पीड़ितों को निःशुल्क भोजन,आवास,वस्त्रादि प्रदान करना ।

१४: मात्र शिशु कल्याण योजनाओं को क्रियान्वित करना तथा लोगों को परिवार नियोजन अपनाने की सही व उचित सलाह देना तथा जगह-जगह निःशुल्क नसबंदी शिविरों,टीकाकरणशिविरों,पल्सपोलियों टी०बी०,कैन्सर,हेपेटाइटिस बी शिविरों,दवाखानों,चैरिटेबुल अस्पतालों, एड्स, अपंगता, कुष्ठ, अंधता ,निवारण केन्द्रों आदि की स्थापना एवं संचालन करना।

१५: समाज में व्याप्त कुरीतियों यथा दहेज,बाल विवाह,छुआछूत,नशा,शराब,गाँजा,अफीम,भाँग ,तम्बाकू ,आदि का सेवन करने वालों को बचाने हेतु जागरूकता शिविरों एवं नशा उन्मूलन अस्पताल केन्द्रों की स्थापना एवं संचालन करना ।

१६: गाँवों का विकास करना तथा गाँवों में निःशुल्क शौचालयों,मूत्रालयों,सफाई,पेयजल,स्वजलधारा तथा आवागमन की सुविधा उपलब्ध कराने का प्रयास करना तथा सांसद,विधायक एवं अन्य विकास निधियों से धन प्राप्त कर उसे संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में विभागीय अनुमति से व्यय करने का प्रयास करना ।तथा ठीकेदारी कार्य विभागीय अनुमति से करना ।

१७: कृषि उपज का सही व जायज मूल्य प्राप्ति हेतु मिनी राईसमिलों,तेलमिलों,दालमिलों आदि की स्थापना एवं संचालन करना ।

१८: कृषि विकास में सहयोगी पशुपालन,मत्स्यपालन,मुर्गीपालन,बकरीपालन,दुग्ध उत्पादन आदि व्यवसाय करना तथा व्यवसाईयों को इसके निमित्त निःशुल्क प्रशिक्षण देना।

५: संस्था के प्रबन्धकारिणी समिति के सदस्यों /पदाधिकारियों के नाम,पिता/पति का नाम,पता पद तथा व्यवसाय जिनको संस्था के नियमानुसार कार्यभार सौपा गया :-

क्र०सं० नाम	पिता/पति का नाम	पता	पद	व्यवसाय
१:श्री रामनगीना	श्री सम्पत	ग्राम, अछाह पो० मिर्जाआजीपुर,मऊ	अध्यक्ष	कृषि
२:श्री रामसोच	श्री शिवपूजन	ग्राम,पो० पकड़ी बुजुर्ग,मऊ	प्रबन्धक	,,
३:श्री शिवनाथ	श्री सुभग	,, ,,	मंत्री	,,
४:श्री सोती	श्री सोम्मर	ग्राम,पो० गोठा,मऊ	कोषाध्यक्ष	,,
५:श्री मोती	श्री पलकू	ग्राम पकड़ी खुर्द पो० पकड़ी बुजुर्ग,मऊ	सदस्य	,,
६:श्री सुदामा	श्री धनकू	ग्राम रामपुर पो० बखरिया,मऊ	,,	,,
७:श्री कुन्जबिहारी	श्री सम्पत	ग्राम अछाह पो० मिर्जाआजपुर,मऊ	,,	,,
८:श्री लालता	श्री रामदेव	ग्राम ,पो० पकड़ी बुजुर्ग,मऊ	,,	,,

६:हम निम्न हस्ताक्षरकर्तागण संस्था को उपरोक्त स्मृति पत्र व संलग्न नियमावली के अनुसार सो०रजि०ऐक्ट १८६० की धारा २१ के अन्तर्गत रजि० कराना चाहते हैं ।

दिनांक

सभी पदाधिकारियों/सदस्यों के हस्ताक्षर

सत्य प्रतिलिपि

रामसोच

रामनगीना शिवनाथ सुदामा

सोती कुन्जबिहारी

मोती लालता

संशोधित नियमावली:

१:संस्था का नाम : बाबा जगदेव दास शिक्षण सेवा संस्थान ।

२:संस्था का पता : ग्राम पकड़ी खुर्द (ओजीपुर),पो० पकड़ी बुजुर्ग तह० घोसी जिला मऊ

३:संस्थाकाकार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारत वर्ष ।

४:संस्था के उद्देश्य : स्मृतिं पत्र के अनुसार

५:संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

आजीवन सदस्य :जो व्यक्ति संस्था को एक मुश्त में कम से कम१००१/-या उससे अधिक मूल्य की चल/अचल सम्पत्ति निःस्वार्थ भाव से दान स्वरूप देंगे तथा संस्थाहित में कार्य कार्य करेंगें संस्था के आजीवन सदस्य माने जायेगें ।

विशिष्ट सदस्य :जो व्यक्ति संस्था के प्रति हितैषीभाव रखने वाले होगें तथा आवश्यकता पड़ने पर संस्था को वार्षिक रूप से सहायता देनेन वाला हो वह संस्था का विशिष्ट सदस्य माना जायेगा ।

सामान्य सदस्य :जो व्यक्ति संस्थाहित में सदैव कार्यरत रहेगें तथा संस्था को २१/-रूपया वार्षिक चन्दा देते रहेगें संस्था के सामान्य सदस्य बने रहेगें ।

६:सदस्यता की समाप्ति १:मृत्यु होने पर ।

२:पागल अथवा दिवालिया घोषित किये जाने पर ।

३:संस्था विरोधी कार्य करने पर ।

४:त्याग पत्र अथवा अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर ।

५:लगातार तीन बैठकों में बिना कोई उचित सूचना दिये अनुपस्थित होने पर ।

६:किसी न्यायालय द्वारा किसी नैतिक अपराधिक केस में दोष सिद्ध किये जाने पर।

७:सदस्यता शुल्क समय से न अदा करने पर ।

७:संस्था के अंग १:साधारण सभा

२:प्रबन्धकारिणी समिति

८:साधारण सभा

गठन नियमावली के नियम ५ के सभी सदस्य मिल कर साधारण सभा का गठन करेगें ।

बैठक साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में कम से कम एक बार अवश्य होगी, आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है।

सूचनाअवधि साधारण सभा की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों को निश्चित सूचना के आधार पर ११ दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना ३ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।

कोरम साधारण सभा का कोरम कुल सदस्यों का २/३ होगा ,कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनः उसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नही होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि :

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन वर्ष में एक बार अवश्य होगा । जो माह जून में मनाया जायेगा ।

सत्य प्रतिलिपि

रामसोच

साधारण सभा के अधिकार व कर्तब्य :

१:प्रबन्धकारिणी समिति का चुनाव कराना ।

२:संस्था की चल/अचल सम्पत्ति की देख भाल एवं सुरक्षा करना ।

३:संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।

६:प्रबन्धकारिणी समितिः

गठन प्रबन्धकारिणी समिति का गठन साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों के आधार पर होगा ,जिसमें ४ पदाधिकारी एवं ४ सदस्य होगें कुल संख्या ८ होगी ।

बैठकें प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में कम से कम दो बार अवश्य होगी आवश्यकता पड़ने पर विशेष बैठक किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सूचनाअवधिः प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना सभी सदस्यों/पदाधिकारियों को कम से कम १० दिन पूर्व देनी होगी विशेष बैठक की सूचना २ दिन पूर्व देना आवश्यक होगा ।

कोरम प्रबन्धकारिणी समिति का कोरम कुल सदस्यों /पदाधिकारियों का २/३ बहुमत के आधार पर माना जायेगा कोरम के अभाव में एक बार बैठक स्थगित हो जाने पर पुनःउसी एजेण्डे पर विचारण हेतु बैठक बुलाने पर कोरम की आवश्यकता नही होगी ।

रिक्त स्थानो की पूर्तिःप्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत रिक्त स्थान या आकस्मिक रिक्ति होने परउसकी पूर्ति साधारणसभा के बहुमत के आधार पर शेषकाल के लिए साधारणसभा में से नियमांनुसार की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तब्य

१:संस्थाहित में शाखा संस्थाओं के संचालन हेतु उपसमितियों उपकमेटियों का गठन एवं संचालन करना ।

२:संस्था का वार्षिक बजट एवं वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना तथा उसे साधारणसभा से पासकराना।

३:कर्मचारियों की नियुक्ति/पदोन्नति/पदच्युति/वेतनबृद्धि/नियमितीकरण एवं अन्य कार्यवाही किसी सक्षम पदाधिकारी की लिखित संस्तुति पर करना ।

४:संस्था के लिए सम्पत्ति जुटाना ।

५:स्वयं के भंग होने अथवा कार्यकाल बढ़ाये जाने पर नये चुनाव तक कार्य करना ।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल चुनाव तिथि से लेकर पॉच साल तक होगा ।

१०:प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों का अधिकार व कर्तब्यः

अध्यक्ष १:सभी बैठकों की अध्यक्षता करना ।

२:बैटको को बुलाना तथा उसका अनुमोदन करना ।

३:बैटकों में शान्ति व्यवस्था कायम करना ।

४:बैटकों की तिथि,समय व स्थान का निर्धारण करना ।

५:बैटको मे प्रस्ताव रखना तथा दूसरों को प्रस्ताव रखने की अनुमति देना ।

रामसोच

रामनगीना 1/10/191

सोमी

प्रबन्धक १:साधारण सभा की बहुमत की मॉग पर कार्यकारिणी भंग करना कार्यकाल बढाना तथा आवश्यकतानुसार पुनः चुनाव कराना ।

२:दोनों सभाओं में पारित प्रस्तावों एवं निर्णयों को अंतिम रूप देना तथा उन्हें कियान्वित करना ।

३:संस्थाहित में हर प्रकार का कार्य करना ।

४:सस्था के पक्ष में मिलने वाले ऋण,अनुदान,दान,चन्दा,भूमि,भवन आदि को प्राप्त करनां तथा उसकी यथा विधि रसीद देना ।

५:बैठकों में विध्न पहुँचाने वाले दोषी लोगों को बैठक से निष्कासित करना तथा उनके खिलाफ विधिक कार्यवाही करना।

६: संस्था के धन को संस्था विकास एवं चैरिटेबुल कार्यो में व्यय करना ।

७: संस्था के समस्त मूल अभिलेखों/दस्तावेजों का अपने पास रख रखाव एवं सुरक्षा करना ।

८: संस्था के लिए मुख्य कार्य पालक के रूप में कार्य करना ।

९: बैठकों की कार्यवाही करना तथा उनको रजिस्टर पर नोट करना या किसी से नोट करवाना ।

१०:संस्था की ओर से समस्त बिल बाउचरों पर हस्ताक्षर करना ।

११:कर्मचारियों की नियुक्ति,पदोन्नति,पदच्युति,वेतनबृद्धि,नियमतीकरण एवं अन्य कार्यवाही करने के लिए प्रबन्धसमिति को संस्तुति देना

१२:संस्था की चल / अचल सम्पत्ति की देखभाल एवं सुरक्षा करना ।

१३:संस्था के कार्यकर्ताओं का निरीक्षण करना तथा दोषी पाये जाने पर उनको दण्डित करना संतुष्ट होने पर दोषमुक्त करना ।

१४:सदस्यों से चन्दा लेना और उसकी रसीद देना ।

१५:सदस्यता फार्म पर हस्ताक्षर करना तथा सदस्य बनाना।

१६:सदस्यता ग्रहण करने योग्य पात्र व्यक्तियों को अपना अंतिम निर्णय देना ।

१७: किसी विवाद के निस्तारण में समान मत होने पर एक अतिरिक्त निर्णायक मत देना ।

१८:अध्यक्ष की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग करना ।

मंत्री १:संस्था की ओर से समस्त पत्राचार करना।

२:आपात स्थिति में बैठकों को बुलाना ।

३:आय व्यय के बजट को पास कराने में मदद करनां।

४:बैठकों की तिथि, समय व स्थान की सूचना सदस्यों को देना।

५:प्रबन्धक की अनुपस्थिति में उसके सभी अधिकारों का प्रयोग उसके पूर्व निर्देशानुसार करना ।

कोषाध्यक्ष १:आय व्यय का लेखा जोखा तैयार करना ।

२:प्रबन्धक द्वारा हस्ताक्षरित समस्त बिल बाउचरों का भुगतान करना ।

३:प्रबन्धक की सहमति पर समस्त धन किसी मान्यता प्राप्त बैंक या पोस्ट आफिस में जमा करना

४:आय-व्यय के लेखा-जोखा की रिपोर्ट साधारण सभा में पेश कर पास कराना ।

५:संस्था के प्रगति का प्रचार-प्रसार करना ।

६:समस्त ज्ञापनों-विज्ञापनों का प्रकाश व भुगतान करना ।

रामसांच

सत्य प्रतिलिपि रामनगीना शिवनाथ

मोती

११:संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया:-संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रकिया साधारण सभा के सभी प्रकार के सदस्यों के २/३ बहुमत के आधार पर किया जायेगा ।

१२:संस्था का कोष:-संस्था का कोष किसी मान्यता प्राप्त बैक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोल कर ज़मा किया जायेगा जिसका संचालन प्रबन्धक के हस्ताक्षर द्वारा कियां जायेगा ।

१३:संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण/आडिट:- संस्था के वर्ष भर के आय व्यय का आडिट साधारण सभा की राय से किसी मान्यता प्राप्त आडीटर द्वारा कराया जायेगा ।

१४:संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध कानूनी कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व:- अदालत की कार्यवाही संस्था द्वारा अथवा उसके विरूद्ध दाखिल मुकदमों की पैरवी प्रबन्धक द्वारा संस्था व्यय पर की जायेगी जो प्रथम बार जनपद मऊ के न्यायालय में ही देखे जा सकेंगे।

१५:संस्था के अभिलेख :-

१:सदस्यता रजिस्टर

२:कार्यवाही रजिस्टर

३:स्टाक रजिस्टर

४:सूचना रजिस्टर ।

५:कैशबुक आदि ।

१६:संस्था के विघटन व विघटित सम्पत्ति के निस्तारण की कार्यवाही सोंसाइटी रजिस्टेशन ऐक्ट की धारा १३ व १४ के अर्न्तगत की जायेगी ।

दिनांक

सत्यप्रतिलिपि

ह०
रामस्वरूप

रामनगीना

शिवनाथ

सोती

सत्य प्रतिलिपि

सहायक रजिस्ट्रार फर्म्स सोसाइटीज एवं चिट्स आजमगढ़

अवर नकल
प्रतिलिपिकर्ता